

न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र / सरफेसी एक्ट / 2023 / 61

एक्सिस बैंक लिमिटेड जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी पार्थ मदान

.....प्रार्थी

बनाम

1. दिगम्बर शर्मा
2. राजेश शर्मा

पिसरान बाबू लाल शर्मा निवासी वार्ड नं. 06 खदराया
भैसीनाखदराया, भरतपुर राज0

.....अप्रार्थी / ऋणी / सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिविल रिट आर्डिनेंस एण्ड रीकनरट्रेशन
ऑफ फाईनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट
2002 एतद् पश्चात एक्ट से संशोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति
का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 04.01.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिविल रिट आर्डिनेंस एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002
के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 27.04.2021 को राशि रु. 11,50,000/- (शब्देन ग्यारह
लाख पचास हजार रु. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण ऋणी
द्वारा लिये गये ऋण को समय पर नहीं चुकाये जाने के कारण ऋण के एवज में बंधक
अचल सम्पत्ति पट्टा नं0/प्लॉट नं0 01 खदराया, भैसीनाखदराया, भरतपुर राजस्थान में
राजेश शर्मा के स्वामित्व व आधिपत्य का स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 187.33 वर्ग गज
है। जिसके पूर्व में धर्मराम गुर्जर की भूमि, पश्चिम में देवता व देवकी की भूमि, उत्तर में
रिक्त तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित है पर भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु पेश किया
गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन
से जाहिर आया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं0/प्लॉट नं0 01
खदराया, भैसीनाखदराया, भरतपुर राजस्थान में जिसका कुल क्षेत्रफल 187.33 वर्ग गज,
बंधक रखी जाकर बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। जिसके एवज में प्रार्थी बैंक

1.....


(2)

प्रार्थना पत्र/संकेती एक्ट/2023/61
एक्सिस बैंक बनाम दिगम्बर शर्मा वगैरे

द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 27.04.2021 को राशि रु. 11,50,000/- (शब्देन ग्यारह लाख पचास हजार रु. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा बंधक अभिलेखानुसार ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 02.05.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग 60 दिन में, दिनांक 22.05.2023 तक वकाया ऋण राशि रु. 1407600/- (शब्देन चौदह लाख सात हजार छः सौ रु. मात्र) एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे लागत इत्यादि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 26.05.23 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा निर्धारित समयावधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अभिलेख निष्पादित करते समय बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में भौतिक कब्जा दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि:-

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण लेते समय बंधक रखी गई बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा नं0/प्लॉट नं0 01 खदराया, भैसीनाखदराया, भरतपुर राजस्थान में राजेश शर्मा के स्वामित्व व आधिपत्य का स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 187.33 वर्ग गज है। जिसके पूर्व में धर्मराम गुर्जर की भूमि, पश्चिम में देवता व देवकी की भूमि, उत्तर में रिक्त तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित है जिसका बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता कि प्रार्थी बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लेते समय प्रार्थी बैंक के स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।


(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर